न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– लतिका दीपक पाराशर,
आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)

जमानत आवेदन CIS प्र.सं. :– 624/2026
C.N.R. Number :- RJHG010016952026

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी गंगागढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 81/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62 भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति:–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 12.08.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से यह जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को अन्तरित किए जाने पर दर्ज रजिस्टर कर नकल जमानत प्रार्थना पत्र अपर लोक अभियोजक को देकर संबंधित पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार दिनांक 21.11.2025 को परिवादी बलविन्द्र सिंह ने आरोपीगण गुरदेव कौर, राजेन्द्र सिंह, पूर्णराम, नाजर सिंह व 3–4 अन्य के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 338, 340, 61(2), 62 भारतीय न्याय संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गुरदेव कौर द्वारा चक नंबर 3 एसएनएम व चक नंबर 23 एचएमएच बाबत एक वाद वसीयत दिनांक 23.12.2000 के आधार पर पेश किया गया है। उक्त दोनों चकों की भूमि का विरासतन इंतकाल स्व0 जीत सिंह के वारिसान उसकी पत्नी भूर कौर व पुत्री हरपाल कौर के नाम बहिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परिवादी द्वारा भूर कौर व हरपाल कौर की चक 3 एसएनएम की भूमि खरीद की गई है, परन्तु आरोपीगण राजेन्द्र सिंह व गुरदेव कौर ने पूर्णराम व नाजर सिंह व अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर परिवादी को नुकसान पहुंचाने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति को जीत सिंह बनाकर फर्जी वसीयत तैयार कर उसे

अपने वाद गुरदेव कौर बनाम हरपाल कौर में यह जानते हुए पेश किया कि वह वसीयत दिनांक 23.12.2000 जीत सिंह द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, असल के रूप में पेश की है। उक्त वसीयत में नेक सिंह नोटेरी की मृत्यु को काफी साल हो गये हैं एवं अब वसीयत तैयार की गई प्रतीत होती है, नेक सिंह नोटेरी के हस्ताक्षर भी फर्जी प्रतीत होते हैं। उक्त सभी मुलजिमान के द्वारा यह तमाम फर्जकारी की है...आदि। उक्त परिवाद न्यायालय द्वारा धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत संबंधित पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन को अग्रेषित किया गया, जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 81/2026 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली आरोप सुनाये जाने के प्रक्रम पर लंबित है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अन्य आरोपीगण की हद तक अनुसंधान लंबित रखा गया है। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त **राजेन्द्र सिंह** के विरूद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं –

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
1	78/26	–	318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता	–	Pending	–	–
2	443/25	–	332(सी), 305 ए बीएनएस	–	Pending	–	–

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, जिसे झूठा फंसाया गया है। उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है। उसके विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। वह दिनांक 25.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

5. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली और संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग साढ़े चार माह से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने बताए गए हैं, परन्तु पूर्व में दर्ज प्रकरण जमानत अस्वीकार किए जाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में,

उपर्युक्त समस्त विवेचन से प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह की ओर से विचारण न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत **एक लाख रूपये** का स्वयं का मुचलका एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो मौतबिर जमानतें विचारण न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय की पेश कर तस्दीक करवावे कि वह नियमित रूप से न्यायालय में पेशी पर उपस्थित आता रहेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर छोड़ दिया जावे।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

7. आदेश आज दिनांक 12.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

SURENDER KUMAR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by SURENDER KUMAR
Date: 2026.08.13 10:53:08 +0530